**व्याख्यान X**

**अल्पसंख्यकों के अधिकार**

**नमस्कार!**

भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है जो नालसर विधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।

पिछले व्याख्यान में हमने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की और हम अनुच्छेद 28 तक गये। अब अनुच्छेद 29 और 30 जोकि अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात करते हैं, उनके बारे में बात होगी। आज के व्याख्यान में, हम देखेंगे कि क्या भारत में कुछ राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं? क्या अल्पसंख्यक अधिकार असीमित होते हैं - क्या राज्य इन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या अल्पसंख्यकों को कुशासन का अधिकार है? क्या सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान हो सकते हैं और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में किस प्रकार का आरक्षण हो सकता है?

अल्पसंख्यक अधिकारों संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

पिछले व्याख्यान में जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हमने अनुच्छेद 25 से 28 पर चर्चा की जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और लोगों को धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देते हैं और अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों या उसके किसी भी वर्ग की पर्याप्त स्वायत्तता की बात करता है। अब अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शीर्षक आता हैं। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच के फैसले में इन प्रावधानों के महत्व पर प्रकाश डाला था। जस्‍टिस खन्‍ना ने कहा कि "इन प्रावधानों ने देश के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए एक उचित प्रावधान किया है। जब तक संविधान यथावत है, तब तक उन अधिकारों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ऐसा करने का कोई भी प्रयास न केवल आस्था के उल्लंघन का कार्य होगा, यह संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य होगा।"

इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अल्पसंख्यक अधिकार संविधान के मूल-भूत ढाँचे का हिस्सा हैं और इसलिए इनको संवैधानिक संशोधन द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता।

क्या अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का अधिकार है?

आइए अब हम अनुच्छेद 29 की गहराई में जाएं। क्या यह वास्तव में अल्पसंख्यकों का अधिकार है? हालांकि अनुच्छेद 29 का शीर्षक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 29 के वास्तविक प्रावधान से अल्पसंख्यक शब्द गायब है। वास्तव में आप अनुच्छेद 29 को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 29(1) कहता है कि भारतीय नागरिकों का कोई भी वर्ग, जो अपनी स्वयं की भाषा, लिपि या संस्कृति रखता हो, उसको उनको सुरक्षित करने का अधिकार होगा। इसलिए, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं है। यह वह अधिकार है जो भारत का प्रत्येक नागरिक दावा कर सकता, यदि किसी नागरिक की अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है तो वह उसको सुरक्षित रख सकता है। फिर अनुच्छेद 29 (2) कहता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के किस तरह के अधिकार हैं?

अनुच्छेद 30 दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात करता है यानि अल्पसंख्यक चाहे वह धर्म पर आधारित हो (Religion minority) या फिर भाषा पर आधारित (Language minority)। यह यौन अल्पसंख्यकों (Sexual minority) की बात नहीं करता है, अन्य गैर-प्रमुख समूहों की बात नहीं करता है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देता है और चूंकि दोनों प्रकार के अल्पसंख्यक एक साथ आ गये हैं और एक साथ जुड़े हैं, अतः सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि अल्पसंख्यकों को राज्य स्तर पर परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि राज्यों को भाषाई आधार पर बनाया गया था।

भारत में विशाल धार्मिक और भाषाई विविधता है। इसलिए अल्पसंख्यक अधिकार केवल मुसलमानों और ईसाइयों के अधिकार नहीं हैं।

**क्या हिंदू भी अल्पसंख्यक अधिकारों के हकदार हैं?**

हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार गैर-हिंदुओं के अधिकार हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने में शक्तिहीनता (Test of Powerlessness) को नहीं बल्कि संख्यात्मक हीनता (Numerical Inferiority Test) को अपनाया था। तदनुसार अल्पसंख्यकों को राज्य के स्तर पर परिभाषित किया जाता है- कोई भी समुदाय जो किसी राज्य में 50% से कम है वह अल्पसंख्यक है। इस प्रकार उत्तर-पूर्व, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। देश के अन्य सभी राज्यों में, हिंदू भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में अल्पसंख्यक अधिकारों के हकदार हैं।

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार क्या हैं?

हम जानते हैं कि अनुच्छेद 21(क) यह प्रावधान करता है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा । नयी शैक्षिक नीति में इसे और बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस संवैधानिक संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था।

अनुच्छेद 30 अतिरिक्त गारंटी है यह अल्‍पसंख्‍यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का विशेष अधिकार (Right to establish and administer educational institutions of their choice) देता है। अब सुप्रीम कोर्ट केरल एजुकेशन बिल में –1957 में यह कह चुका है कि अनुच्छेद 30 के सही अर्थ और निहितार्थ को समझने की कुंजी **'अपनी पसंद के'** शब्द हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमुख शब्द 'पसंद' है और उस अल्पसंख्यक का अधिकार उतना ही व्यापक है जितनी कि विशेष अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद इसे बना सकती है। इसलिए अनुच्छेद 30 के तहत, यह अल्पसंख्यक है जो एक पसंद बनाता है (एक Choice करता है) और यह अल्पसंख्यक की शक्तियों के भीतर है कि वह अपनी पसंद को जितना चाहे उतना बढ़ा बड़ा सकता है।

शैक्षिक संस्थान शब्‍द का क्या अर्थ है? 'स्थापना' का क्या अर्थ है? अल्पसंख्यक अपने संस्थानों का 'प्रशासन' कर सकते हैं? 'प्रशासन' का क्या अर्थ है?

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना (Establish) और प्रशासन (Administer) कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शब्द शिक्षण संस्थान में विश्वविद्यालय शामिल है। इसलिए अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 'स्थापना' शब्द का अर्थ है नींव रखना, अस्तित्व में लाना।

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई फाउंडेशन के फैसले में, ग्यारह Judges की बेंच ने कहा कि शिक्षा के सभी स्तरों की शिक्षा अनुच्‍छेद 30 में शामिल है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा भी इसमें शामिल है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक पंथनिरपेक्ष (Secular) और आधुनिक शिक्षा (Modern education) के शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको याद होगा कि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई भी वर्ग धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। तो मदरसे या मंदिर अनुच्छेद 30 के तहत स्थापित नहीं होते, वे अनुच्छेद 26 के तहत स्थापित होते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत हम आधुनिक, उदार, पंथनिरपेक्ष शिक्षा की बात कर रहे हैं।

प्रशासन के अधिकार का क्या अर्थ है?

‘प्रशासन का अधिकार' (Right to administer) का अर्थ है की दिन-प्रतिदिन प्रशासन करने का अधिकार। इसमें छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार, फीस तय करने का अधिकार, प्रशासनिक निकाय (Governing Body) चुनने का अधिकार। कर्मचारियों को अनुशासित करने का शामिल है। ये अधिकार किसी गैर-अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी उपलब्ध हैं। नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को अपनी फीस तय करने, अपने एक्ट के अनुसार अपने प्रशासनिक निकाय को चुनने का पूरा अधिकार है। इसे अपने कर्मचारियों को अनुशासित करने का पूरा अधिकार है। इन अधिकारों के साथ, इस अर्थ में प्रशासन का अधिकार सामान्य है। लेकिन फिर प्रशासन के विशेष तत्व हैं जो केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध हैं?

**क्या अल्पसंख्यक अधिकार असीमित हैं?**

हाँ और नहीं। क्यों हाँ, क्योंकि यदि आप अनुच्छेद 30 को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि अनुच्छेद 19, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों के विपरीत, अनुच्छेद 30 में किसी प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 19 में खंड 2 से 6 तक, प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 में, प्रारंभिक शब्द स्वयं प्रतिबंध हैं- सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन।

अनुच्छेद 21 के तहत आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इस अधिकार को छीना जा सकता है। जब अनुच्छेद 30 की बात आती है, तो भारतीय संविधान में किसी भी प्रतिबंध को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन फिर भारत में हमारे कानूनों की व्याख्या अदालतें करती है। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी कहता है वह अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत में सभी अदालतों पर बाध्यकारी हो जाता है। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लगातार माना है कि कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता है। तो जवाब बन जाता है नहीं। अल्पसंख्यक अधिकार भी असीमित नहीं हो सकते। तदनुसार, अल्पसंख्यक संस्थानों पर नगरपालिका और स्वास्थ्य नियम समान रूप से लागू होंगे।

कोई अल्पसंख्यक संस्था यह नहीं कह सकती कि हम नगर प्राधिकरण से अनुमति के बिना भवनों का निर्माण करेंगे, उनके पास यह अधिकार नहीं है। यूजीसी ने निर्धारित किया है कि इतने छात्रों के लिए इतने शौचालय होने चाहिए। किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान को यह कहने का अधिकार नहीं है कि हम यूजीसी के नियमों का पालन नहीं करेंगे। इसी तरह शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यताएँ, प्राचार्य की नियुक्ति, कुलपति की नियुक्ति यूजीसी द्वारा तय नियमों से की जाती है और अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान उसके लिए बाध्य हैं।

**क्या सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को नियंत्रित कर सकती है?**

हाँ, अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियंत्रण अल्पसंख्यक के हित में होना चाहिए, आम जनता के हित में नहीं। तो राज्य नियमों से ऐसा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय सिधजभाई सभाई बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे (1962) के फैसले में कहा कि हर सरकारी नियम को दोहरी परीक्षा (Dual Test) को पूरा करना चाहिए। एक अनुच्छेद 19 की तरह, तर्कसंगतता (Test of Reasonableness) कि सरकारी विनियमन उचित है और यह भी कि यह विनियमन संस्था के शैक्षिक चरित्र का नियामक होना चाहिए और अल्पसंख्यक समुदाय या इसका सहारा लेने वाले अन्य व्यक्तियों की शिक्षा के लिए संस्थान को प्रभावी माध्यम बनाने में अनुकूल होना चाहिए। इसलिए, विनियम की अनुमति हैं, विनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के हित में होने चाहिए ताकि उन्हें और अधिक कुशल बनाया जा सके।

क्या कोई सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक **शैक्षिक** संस्थान हो सकता है?

हाँ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज जैसे कई ऐसे संस्थान हैं। अनुच्छेद 30 (2) कहता है कि राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में किसी भी शैक्षिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। किसी भी शैक्षिक संस्थान को राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर राज्य अनुदान दे रहा है, तो राज्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी सहायता ऐसी शर्तों के साथ नहीं आ सकती है जो अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दें।

इसी तरह मान्‍यता या संबंद्धता या सहायता और अनुदान के सरकारी विनियम अल्‍पसंख्‍यक शैक्षिक संस्‍थान के अल्‍पसंख्‍यक चरित्र के विनाशकारी या विध्वंसकारी नहीं हो सकते।

हमारे पास एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, और फिर आपके पास अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी विशेष आयोग है जिसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है।

क्या दाखिले में अल्पसंख्यक आरक्षण हो सकता है?

क्योंकि अनुच्छेद 29(2) कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति आदि के निषिद्ध आधारों पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद 30(1) और अनुच्छेद 29(2) के बीच संबंध कई मामले मे मुकदमेबाजी का विषय रहा है। अब कानून पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है, अल्पसंख्यक संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण हो सकता है यदि यह एक धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान है तो आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए होगा। यदि यह भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान है, तो आरक्षण भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए होगा। अब अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 15(6) अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को राज्य की आरक्षण की नीतियों से स्पष्ट रूप से छूट देते हैं। अतः अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आदि लागू नहीं है। इसका कारण यह है कि अल्पसंख्यक संस्थान एक विशेष समूह की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं और इसलिए उन संस्थानों में उन समूहों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन संस्थानों में राष्ट्र की विविधता परिलक्षित हो। और इसलिए, उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने के लिए प्रयास करना चाहिए।

**आज हमने क्या सीखा?**

अल्पसंख्यक अधिकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों के लिए हैं। अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के स्तर पर परिभाषित किया जाता है। ये अधिकार असीमित नहीं हैं। सरकार के पास अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को नियंत्रित करने की शक्ति है। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाओं के कुप्रशासन का अधिकार नहीं है।

अगले व्याख्यान में, हम मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार।